रिपोर्ट सारांश

भारत, नेपाल, और श्रीलंका में लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी की जांच व सहायता सेवाओं के अनुकूलन पर क्षेत्रीय विश्लेषण रिपोट

द एशिया फाउंडेशन, भारत

FXB INDIA SURAKSHA
ENDING POVERTY, RESTORING DIGNITY
SOCIAL SCIENCE BAHA
cepa centre for poverty analysis
The Asia Foundation
Improving Lives, Expanding Opportunities

विषय सूची

1. परिचय **3**

1.1 परियोजना की पृष्ठभूमि 3

1.2 अनुसंधान व सूचना संग्रह प्रक्रिया का अवलोकन 3

2. भारत, नेपाल और श्रीलंका में लिंग आधारित हिंसा में मानव तस्करी को समझदारी पर प्रमुख निष्कर्ष **4**

2.1 मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा की स्थिति 4

2.2 मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा की घटनाओं पर कोविड–19 का प्रभाव 4

2.3 मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा और उनके प्रतिच्छेदनों की समझ 4

2.4 मानव तस्करी पीड़ितों की विभिन्न श्रेणियों पर वैचारिक स्पष्टता 5

2.5 पीड़ितों की जांच और पहचान 6

2.6 भारत, नेपाल और श्रीलंका की सिफारिशें 7

3. मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा के पीड़ितों को सेवा प्रदान करने से संबंधितप्रमुख निष्कर्ष **9**

3.1 सेवा प्रदाता ढांचा और सेवा प्रदान करने में चुनौतियां 9

3.2 सेवाओं का एकीकरण या पृथक्करण 11

3.3 भारत, नेपाल और श्रीलंका की सिफारिशें 12

4. कानूनी ढांचे और इसके प्रवर्तन पर प्रमुख निष्कर्ष **14**

4.1 भारत, नेपाल और श्रीलंका की सिफारिशें 15

इस शोध को यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अनुदान द्वारा वित्त पोषित किया गया था। यहां प्रस्तुत विचार, जानकारियां और निष्कर्ष लेखक के हैं, और जरूरी नहीं कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य विभाग से मेल खाते हों।

परिचय

1.1 परियोजना की पृष्ठभूमि

लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी की जांच और समर्थन सेवाओं का अनुकूलन' पर अनुसंधान परियोजना, आफिस टू मानीटर एंड काम्बेट ट्रेफिकिंग इन पर्सन्स (जे/टीआईपी), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) राज्य विभाग, द्वारा समर्थित तथा एशिया फाउंडेशन (टीएएफ) द्वारा कार्यान्वित है। यह शोध नवंबर 2019 और फरवरी 2021 के बीच 18 महीने की अवधि में किया गया था, जिसका भौगोलिक फोकस भारत, नेपाल और श्रीलंका पर था। टीएएफ ने तीन देशों में – भारत में एफएक्सबी इंडिया सुरक्षा (एफएक्सबीआईएस)यनेपाल में सोशल साइंस बाहा (एसएसबी), और श्रीलंका में द सेंटर फार पोवेर्टीएनालिसिस (सीईपीए) नामक स्थानीय संगठनों के साथ भागीदारी की।

इस परियोजना का लक्ष्य मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा के पीड़ितों की जांच और सेवा प्रावधान की दक्षता व प्रभावशीलता में सुधार करना है। लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी पीड़ितों की पहचान कैसे की जाती है और विभिन्न हितधारकों से सेवाओं तक कैसे पहुंच सुनिश्चित की जाती है, इसकी जांच करके, यह अनुसंधान मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों के लिए सेवाएं प्रदान करते हुए दुर्लभ संसाधनों के परिणामों को अधिकतम करने हेतु मार्गदर्शन के विकास में योगदान देता है। यह अध्ययन मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा के प्रतिच्छेदनों के गहन अध्ययन पर आधारित है, पीड़ितों की पहचान पर इसका परिणामी प्रभाव पड़ता है, जो पीड़ितों को प्रभावी सेवा प्रदायगी की अंतिम खोज की ओर ले जाता है, कि इन्हें एकीकरण या अलगाव की आवश्यकता है या नहीं।

1.2 अनुसंधान और सूचना संग्रह प्रक्रिया का अवलोकन

यह दस्तावेज मुख्य क्षेत्रीय विश्लेषण रिपोर्ट का एक संक्षिप्त संस्करण है जो भारत, नेपाल और श्रीलंका से प्राप्त तीन अलग–अलग देशों की रिपोर्ट के विश्लेषण पर आधारित है। तीन देशों के अध्ययन की पद्धति में तीन चरण शामिल हैं–माध्यमिक साहित्य समीक्षा, प्राथमिक डेटा संग्रह और डेटा विश्लेषण। प्राथमिक अनुसंधान हितधारकों के विविध समूहों, और केन्द्रित सामूहिक चर्चाओं (एफजीडी) के साथ गहन जानकार मुख्य मुखबिर साक्षात्कार (केआईआई) के जरिए किया गया। क्षेत्र अनुसंधान के लिए पहचाने गए हितधारक थे – सेवा प्रदाता (आश्रय गृह और सरकार/गैर सरकारी संगठन जो सेवाएं प्रदान करते हैं), कानून प्रवर्तन अधिकारी (पुलिस, अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों, सीमा व आप्रवास अधिकारियों सहित), और मानव तस्करी वलिंग आधारित हिंसा पीड़ित। इस अध्ययन के उद्देश्य के लिए 'पीड़िता' को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया था जिन्हें आपराधिक न्याय प्रक्रियाओं के माध्यम से 'कानूनी रूप से पहचाना' गया था।

भारत में, क्षेत्र अनुसंधान दिल्ली, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर राज्यों पर केंद्रित था, जिन्हें देश के विशाल भूगोल में उनके क्षेत्रीय कवरेज के कारण चुना गया था, और क्योंकि वे या तो मानव तस्करी के लिए उभर रहे हैं या मौजूदा हॉटस्पॉट हैं।

नेपाल में, डेटा संग्रह काठमांडू के साथ–साथ प्रांत एक में मोरंग और सुनसारी के कुछ बाहरी जिलों और लुंबिनी में बांके में किया गया था, जिन्हें मुख्यतः भारतीय

सीमा से निकटता के कारण चुना गया था, जो कि सीमा पार तस्करी और हितधारकों की प्रतिक्रियाओं से प्राप्त जानकारी के कारण डाटा–संग्रहण का विशेष रूप से एक प्रासंगिक तथ्य है।

श्रीलंका में, कोलंबो, बट्टिकलोआ, जाफना, मतारा और नुवारा एलिया जिलों को एक जातीय–भाषाई संतुलन बनाए रखने के लिए, उच्च प्रवास वाले जिलों से डेटा प्राप्त करने के लिए और इन कुछ जिलों में लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों के लिए आश्रयों की उपस्थिति के कारण चुना गया था।

2. भारत, नेपाल और श्रीलंका में मानव तस्करी, व लिंग आधारित हिंसा को समझदारी पर प्रमुख निष्कर्ष

2.1 मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा की स्थिति

1. उच्च प्रसार–लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी दोनों भारत व नेपाल में विभिन्न रूपों में अत्यधिक प्रचलित हैं, जबकि श्रीलंका में लिंग आधारित हिंसा अत्यधिक प्रचलित है, लेकिन मानव तस्करी के मामले तुलनात्मक रूप से कम पंजीकृत हैं। व्यवसायिक यौन शोषण और जबरन श्रम भारत और नेपाल में तस्करी के दो प्रमुख रूप हैं, जबकि जबरन श्रम के लिए तस्करी (विशेषकर बाहर जाने वाले प्रवासियों की) श्रीलंका में एक अधिक सामान्य रूप से उभरता प्रारूप है।

2. मानव तस्करी पर डेटा–विभिन्न कारणों से तीनों देशों में डेटा संग्रह और इसकी सटीकता संबंधी चुनौतियां हैं, जिनमें रिपोर्टिंग की कमी से लेकर रिकॉर्डिंग प्रकरणों में, विशेष रूप से मानव तस्करी मामलों में संस्थागत व कानूनी खामियां हैं। हालांकि भारत में मानव तस्करी पर लिंग व आयु का अलग–अलग डेटा उपलब्ध है, मगर नेपाल और श्रीलंका में इस तरह के अलग अलग डेटा उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, तीन देशों में पुरुषों व अन्य लिंग के लोगों द्वारा सामना की जाने वाली लिंग आधारित हिंसा पर कोई विश्वसनीय डेटा उपलब्ध नहीं है।

2.2 मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा की घटनाओं पर कोविड–19 का प्रभाव

3. महामारीका आभास– राष्ट्रव्यापी तालाबंदी, यात्रा प्रतिबंध, एकांतवास थोपा जाना, कोविड –1 के प्रसार को रोकने तथा संक्रमण रेखा को समतल रखने के लिए भारत, नेपाल और श्रीलंका में आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने से ऐसा प्रतीत हुआ किलिंग आधारित हिंसा पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। तीनों देशों ने लॉकडाउन अवधि के दौरान गतिशीलता पर सीमाएं तथा सेवाओं तक पहुंच न हो पाने सेलिंग आधारित हिंसा मामलों में वृद्धि की सूचना दी। साक्षात्कार किए गए हितधारकों ने मौजूदा व अत्यधिक असुरक्षाओं के कारण तस्करी में वृद्धि की संभावनाओं की पुष्टि की।

2.3 मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा और उनके प्रतिच्छेदनों की समझ

4. लिंग आधारित हिंसा की सीमित समझ– भारत, नेपाल और श्रीलंका में, लिंग आधारित हिंसा पर विमर्श महिलाओं के खिलाफ 'शारीरिक' हिंसा पर केंद्रित है, जो इसे घरेलू हिंसा तक सीमित रखता है –वो भी इस मान्यता को

नजरअंदाज करते हुए कि पुरुष और अन्य लिंग भी लिंग आधारित हिंसा के पीड़ित हो सकते हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं में पुरुष व महिला की पारंपरिक द्विआधारी लिंग श्रेणियों सहित व उससे परे, समूचे लिंग स्पेक्ट्रम को समझने में कमी नजर आई है।

5. मानव तस्करी की सीमित समझ– भारत में, उत्तरदाताओं की मानव तस्करी के संबंध में समझअलग अलग थी, कुछ ने इसके सभी रूपों को मान्यता दी, जबकि अन्य ने केवल महिलाओं व लड़कियों की संलिप्तता वाली वेश्यावृत्ति संबंधीमानव तस्करी पर जोर दिया। नेपाल में, मानव तस्करी को पहले जीसीसी क्षेत्र में घरेलू कामों में महिलाओं या महिलाओं की तस्करी की जाने वाली सीमा–पार 'बिक्री' के रूप में समझा जाता था, लेकिन अब आंतरिक यौन तस्करी पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। श्रीलंका में, क्षेत्र अनुसंधान बताता है कि कुछ कानून प्रवर्तन अधिकारीऔर अधिकांश सेवा प्रदाताओं के बीच, बाहरी श्रम प्रवास तथा यौन शोषण व जबरन श्रम के लिए आंतरिक तस्करी के परिणामस्वरूप मानव तस्करी पर अधिक ध्यान देने से मानव तस्करी से संबंधित अपर्याप्त समझदारी है।

6. मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा की परस्परता की सीमित समझ– एक तरफ भारत और नेपाल में क्षेत्र अनुसंधान ने सभी उत्तरदाताओं के बीच इस स्पष्ट समझ का खुलासा किया कि लिंग आधारित हिंसा मानव तस्करीसे संबंधित अधिक असुरक्षा पैदा करता है, और दूसरी ओर, एक मानव तस्करी स्थिति के तहत लिंग आधारित हिंसा की व्यापकता के बारे में, साक्षात्कार के शिकार अधिकांश लोगों सहित, कुछ हितधारकों के बीच समझ की कमी का पता चला। श्रीलंका में केआईआई सुझाव देते हैं कि लिंग आधारित हिंसा और तस्करी को परस्पर जोड़ना या न जोड़ना आसान नहीं है, और यहां तक कि उन लोगों में भी, जिन्हें दोनों अवधारणाओं की स्पष्ट समझ है, प्रतिच्छेदनों की पहचान, कम स्पश्ट है जो कि मुख्य रूप से लिंग आधारित हिंसा की सत्यापन योग्य जानकारी या मानव तस्करी से लिंग आधारित हिंसा या लिंग आधारित हिंसा से मानव तस्करी की ओर ले जाने वाले डेटा की कमी के कारण है।

2.4 मानव तस्करी पीड़ितों की विभिन्न श्रेणियों पर वैचारिक स्पष्टता

7. मानव तस्करी पीड़ितों से संबंधित अनुमान – भले ही यूएन मानव तस्करी प्रोटोकॉल में मानव तस्करीपीड़ितों का कोई औपचारिक वर्गीकरण नहीं है, मगर यूएन एजेंसियां मानव तस्करी पीड़ितों को वास्तविक, अनुमानित, संभावित व जोखिम वाली आबादी के रूप में वर्गीकृत करती हैं। इन श्रेणियों का उपयोग यह दर्शाने के लिए अधिक किया जाता है कि किसी व्यक्ति को तस्करी के सभी तीन चरणों–भर्ती, पारगमन/परिवहन, और विभिन्न उद्देश्यों हेतु तस्करी किए जाने के दौरान पीड़ित किया जा सकता है। इस प्रकार, तस्करी का शिकार पीड़ित 'निरंतर' या पिरामिड पर किसी भी स्थान पर नजर आ सकता है – लेकिन यह पूछना एक विचारणीय प्रश्न है कि 'पहचान तंत्र और प्रतिक्रियाएँ क्या हैं?'हालांकि महिलाओं और लड़कियों कानेपाल से भारत में और कभी–कभी अवैध व्यापार किया जाता है। भारत या श्रीलंका के माध्यम से जीसीसी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया में पारगमन एक वास्तविकता है – शिकार के 'संदेह' और 'अनुमान' के आधार पर उनका 'अवरोधन'/'बचाव' उनके अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, क्योंकि वे (ज्यादातर) वयस्क हैं, और वैध यात्रा दस्तावेज रखते हैं।

8. पीड़ित का नारीकरण– भारत, नेपाल और श्रीलंका में, यह शोध मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा स्थितियों में 'पीड़ित के नारीकरण' की पुष्टि करता है। भले ही पुरुषों व अन्य लिंगों का अक्सर, उनकी तस्करी होने के कारण, गंभीर रूप से शोषण किया जाता है या पारस्परिक संबंधों में उन्हें हिंसा और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, फिर भी उन्हें कानूनी, नीति और सेवा वितरण ढांचे में अक्सर नजरंदाज या दरकिनार कर दिया जाता है। माध्यमिक साहित्य और विविध हितधारकों के साथ केआईआई सुझाव देते हैं कि 'पीड़ित' शब्द अक्सर रूढ़िवादी, निष्क्रिय स्त्रीत्व के अर्थों को उजागर करता है – खासकर जब अपराध में तस्करी, घरेलू हिंसा या यौन हिंसा के अन्य रूपों को शामिल किया जाता है।

9. मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा की व्यापक समझ की आवश्यकता–शायद इस अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण खोज सबसे स्वाभाविक है–कि तस्करी और हिंसा के लिंग आयामों को बेहतर ढंग से समझने और उनकी सराहना करने की आवश्यकता है। आम धारणा है कि महिलाएं और बच्चे (सामान्य लोगों के बजाय) अवैध व्यापार के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, इस धारणा को चुनौती देने की आवश्यकता है और पुरुषों व अन्य जेंडर को शामिल करने के लिए 'जेंडर' की समझ को बढ़ाने की आवश्यकता है। यानी लिंग और जेंडरसंबंधित धारणाएं कि तस्करी–रोधी उपायों को कैसे शुरू किया जाता है, और इनमें कौन सी सेवाएं और सहायता दी जाती है या अस्वीकार की जाती है।

2.5 पीड़ितों की जांच और पहचान

10. अनेक एजेंसियों द्वारा जांच–मानव तस्करी पीड़ितों की जांच और पहचान विभिन्न एजेंसियों, अर्थात् पुलिस, सरकारी अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, सीमा और आप्रवासन द्वारा की जाती है, जबकि लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों की पहचान पुलिस, पीड़ितों/परिवारों, समुदाय के सदस्यों और हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों के जरिए की जाती है। भारत और नेपाल में, ओएससीसी(वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर)लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों की पहचान करने में महत्वपूर्ण मध्यस्थ हैं, और मानव तस्करी में, विशेष रूप से भारत–नेपाल सीमा पर पीड़ितों की पहचान, अवरोधन और बचाव में पुलिस और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग, अपवाद के बजाय आदर्श है।

11. सामान्य चुनौतियाँ– अनुसंधान ने मानव तस्करी के पीड़ितों की जांच और पहचान करने में आम चुनौतियों की पहचान की, मसलन– प्रोटोकॉल की कमी और विशिश्ट किस्म के संकेतक, प्रथम उत्तरदाताओं (पुलिस, सीमा और आप्रवास) के बीच जागरूकता की कमी, उपयुक्त प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, पीड़ितों और/या उनके सहअपराधको लेकर समझ की कमी, पीड़ित (मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा दोनों) की शर्म, कलंक और सामाजिक दबाव की धारणा, और नेपाल और श्रीलंका में आंतरिक तस्करी पर कम प्राथमिकता और ध्यान केन्द्रण।

12. उत्तरदाताओं का प्रशिक्षण– भारत और नेपाल में, पुलिस को मानव तस्करी वलिंग आधारित हिंसा मामलों की तुलना में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अभिविन्यास और सेवा के संदर्भ में किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था, जबकि सीमा और आप्रवास अधिकारियों ने मानव तस्करी पर कोई केंद्रित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था। श्रीलंका में स्थानीय पुलिस को मानव तस्करी पर बहुत कम या कोई

प्रशिक्षण नहीं मिला। यद्यपि सरकार, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा निरंतर आधार परप्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, मगर केआईआई के दौरान लगभग सभी हितधारकों द्वारा अधिक प्रशिक्षण की मांग की गई थी।

2.6 भारत, नेपाल और श्रीलंका के लिए सिफारिशें

13. भारत के लिए प्रमुख सिफारिशें

निवारक उपाय– अवैध व्यापार के लिए संवेदनशील क्षेत्रों और/या हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से भेद्यता मानचित्रण के माध्यम से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह उन कारकों के लिए क्षेत्र–विशिष्ट समाधानों की योजना बनाने और क्रियान्वित करने में उपयोगी होगा जो सर्वप्रथम समुदायों के भीतर, विशेष रूप से कमजोर क्षेत्रों में कमजोरियां पैदा करते हैं।

सशक्तसमुदाय–आधारित निगरानी– ग्राम स्तर पर मानव तस्करी को रोकने में ग्राम नेताओं/पंचायतों और धार्मिक नेताओं की भागीदारी के साथ सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रभावी प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता बनना।

प्रशिक्षण कार्यक्रम– सरकार, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा पुलिस, सीमा अधिकारियों, अभियोजकों व न्यायिक अधिकारियों के लिए जेंडर, जिसमें कि पुरुष और अन्य लिंग शामिल हैं, की व्यापक समझ बनाने पर ध्यान केंद्रित करने, और पीड़ितों की कुशल जांच और पहचान के लिए मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा और उनके परस्पर प्रतिच्छेदन की समग्र समझ बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होने चाहिए।

मानक दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल–इन्हें सरकारद्वारा तैयार किया जाना चाहिए और सभी संबंधित एजेंसियों, अर्थात् पुलिस, सीमा और आव्रजन अधिकारियों, श्रम निरीक्षकों, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत अधिकारियों, स्वास्थ्य पेशेवरों व अन्य के लिए ध कराया जाना चाहिए ताकि वे मानव तस्करी के पीड़ितों की जांच और पहचान कर सकें। मानव तस्करी मामलों की जांच और अभियोजन के लिए मौजूदा एसओपी और प्रोटोकॉल को नए कानूनों व मौजूदा कानूनों में संशोधनों को शामिल करके बेहतर बनाने की आवश्यकता है।

कोविड–19 महामारी की प्रतिक्रिया–लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा अधिक लक्षित प्रयासों की आवश्यकता है। इसमें घटनाओं की रिपोर्ट करना और सेवाएं प्राप्त करने को आसान बनाना, तथालिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी अपराधों पर कोविड–19 के प्रभाव का एक मजबूत, देशांतरीय, मूल्यांकन प्राप्त करने हेतुरीयल टाइम व्यापक व यौन–विभाजित आपराधिक न्याय डेटा एकत्र करना और विश्लेषण करना तथा लक्षित साक्ष्य–आधारित नीतियां विकसित करना शामिल है।

14. नेपाल के लिए प्रमुख सिफारिशें

सूचना को सुव्यवस्थित करना– ऐसा करने से पहचान व अन्य प्रक्रियाओं के साथ आगे बढ़ना आसान हो जाएगा।

समय पर प्रशिक्षण प्रदान करें– सरकार, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सरकारी अधिकारियों को मानव तस्करी में बदलाव को समझने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।

जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना– सरकार और गैर सरकारी संगठनों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में,ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए जोपीड़ितों को मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा के अपराधों और कानूनों को समझने तथा साथ ही उन्हें उनके अधिकारों व न्याय के बारे में जानकारी देने में मदद कर सकें।

पीड़ितों की प्रभावी जांच और पहचान सुनिश्चित करना– कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय में, संकेतकों की सहायता से उचित प्रोटोकॉल का पालन करें ताकि आशंकाओं व दृश्य संकेतों पर निर्भर रहने के बजाय पीड़ितों की पहचान की जा सके।

आधिकारिक सीमा पार करने के लिए स्क्रीनिंग और पहचान को सीमित नहीं करना चाहिए– उन्हें भारत के साथ खुली सीमा में, जो कि आसान मार्ग की अनुमति देती है, अन्य बिंदुओं को भी कवर करना चाहिए।

अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करें– ऐसी प्रणाली, पीड़ितों के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक आसान पहुंच वाली, 24 घंटे हॉटलाइन सेवाएं हो सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संचालित लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों के लिए खबर गरौं (रिपोर्ट करते हैं) हेल्पलाइन टेम्पलेट प्रदान कर सकती है जिस पर लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी दोनों की रिपोर्ट करने के लिए एक हॉटलाइन स्थापित की जा सकती है।

मानकीकृत प्रोटोकॉल को लागू करना और उसकी निगरानी करना–सरकार को मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा से संबंधित सभी कार्यों वइसमें शामिल सभी निकायों, सरकारी व गैर–सरकारी दोनों के लिए, ऐसा करना चाहिए।

15. श्रीलंका के लिए प्रमुख सिफारिशें

निवारक प्रयास करना–सरकार और गैर सरकारी संगठनों को लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी की प्रचलन को संबोधित करने के प्रयास करने चाहिए। मानव तस्करी कैसे प्रकट होता है और लिंग आधारित हिंसा के साथ इसकी परस्पर क्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। सामुदायिक स्तर पर हितधारकों व व्यावसायिक यौन व्यापार में लगे पुरुषों व महिलाओं के साथ काम करने वाले संगठनों, घरेलू कामगार संघों और ऐसे संघों, जो एलजीबीटीक्यू समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, के साथ साथ निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में श्रमिकों का समर्थन करने वाले गैर सरकारी संगठनों को शामिल करें।

क्षमता बढ़ाना– सरकार को संभागीय सचिवालय स्तर के अधिकारियों, मसलन, महिला विकास अधिकारी, प्रवासन विकास अधिकारी, सामाजिक सेवा अधिकारी, आर्थिक विकास अधिकारी और परामर्शदाता, की क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए जो पहचानने और और अनुमानित पीड़ितों को सेवाओं से जोड़ने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

पुलिस की क्षमता को मजबूत करना–यह सरकार व अन्य राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा स्थानीय पुलिस थाना अधिकारियों के प्रशिक्षण के माध्यम से किया जाना चाहिए।

जागरूकता का निर्माण– यह महत्वपूर्ण है कि सरकार अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों– विशेष रूप से मिथुरु पियासेंटर के तहत काम करने वाले स्वास्थ्य–परामर्शदाताओं तथा चिकित्सा अधिकारियों समेत सार्वजनिक स्वास्थ्य दाइयों के बीच जागरूकता पैदा करे, ताकि मानव तस्करी को हिंसा के रूप में पहचानने और जांचने में मदद मिल सके।.

दूतावासों में श्रम अधिकारियों को रखना– जीसीसी देशों में कुछ श्रीलंकाई दूतावासों से जुड़े श्रम अधिकारियों को वापस लेने का श्रीलंका सरकार का निर्णय नियमित समेत अनियमित प्रवासी श्रमिकों का समर्थन करने वाले प्रयासों को रोक सकता है, यदि उन्होंने जबरन श्रम या यौन शोशण का अनुभव किया है। इससे यह अनिवार्य हो जाता है कि विदेश मंत्रालय द्वारा प्रवासी श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त किसी भी अधिकारी को भी जांच और पहचान प्रक्रिया में मदद करने हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हो।

16. तीनों देशों के लिए अतिरिक्त सिफारिशें –

भारत, नेपाल और श्रीलंका में प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों को सभी लिंगों के मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों की पहचान के लिए विस्तृत संकेतक/दिशानिर्देश/जांच उपकरण तैयार करने चाहिए और उन्हें एक बहु–हितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से प्रसारित करना चाहिए। इन उपकरणों को अनेक हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए जो पीड़ितों की जांच और पहचान करने में शामिल हो सकते हैं।

प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एजेंसियों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और प्रभाव का गंभीरता से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अनुसंधान वर्तमान में 'बहुत कम प्रभाव' के साथ शायद 'बहुत अधिक प्रशिक्षण' की विसंगति को उजागर करता है।

3. मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा के शिकार लोगों को सेवा वितरण पर प्रमुख निष्कर्ष

3.1 सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क और सर्विस डिलीवरी के समक्ष चुनौतियां

17. सेवा वितरण संरचनाएं– अपर्याप्त समन्वित प्रयासों के बावजूद, भारत, नेपाल और श्रीलंका में मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा की प्रतिक्रिया में कई मंत्रालय, विभाग, वैधानिक प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन महत्वपूर्ण हितधारक हैं। लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों के लिए सेवा वितरण के मामले में, तीनों देशों में मजबूत ढांचे हैं, लेकिन मानव तस्करी के संदर्भ में, हालांकि भारत व नेपाल के पास मजबूत ढांचे हैं, मगर यह श्रीलंका में ऐसी स्थिति नहीं है, यद्यपि आम सार्वजनिक सेवाएं इंगित की जा सकती हैं। उनकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए मौजूदा सेवा वितरण ढांचे की निगरानी, मूल्यांकन और प्रभाव आकलन का लिंक, हालांकि, सभी देशों में लापता है, इस अध्ययन से पता चलता है कि व्यावहारिक कार्यान्वयन वास्तव में उनकी अचिलिस हील है।

18. सेवा प्रदाता– सरकार और गैर सरकारी संगठन, आश्रय गृहों याविशिश्ट सेवा केंद्रों (जैसे भारत और नेपाल में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर) के जरिए सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने में प्राथमिक रूप से शामिल हैं। फिर भी, भारत और नेपाल में अनुसंधान से पता चलता है कि सेवा वितरण की अधिकांश जिम्मेदारी गैर सरकारी संगठनों द्वारा वहन की जाती है, जबकि श्रीलंका में यह काफी हद तक सरकार द्वारा संचालित प्रयास है।

19. पुरुषों और अन्य लिंगों का बहिष्करण– सभी देशों में, सेवा वितरण ढांचे पुरुषों व अन्य लिंगों के लगभग पूर्ण बहिष्करण करते हैं और केवल मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा की पीड़ित महिला पर केंद्रित हैं। न केवल लिंग के आधार पर, बल्कि भौगोलिक स्थिति के कारण भी सेवाओं तक अलग–अलग पहुंच और तीनों देशों में तस्करी के प्रकारों की सूचना दी जाती है। यह अनुशंसा की जाती है कि देश मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा के कारण पीड़ित पुरुषों व अन्य लिंगों के लिए सेवा वितरण योजनाएं तैयार करें।

20. तीनों देशों में सेवाओं तक पहुँचने में सामान्य बाधाएँ–लिंग, भौगोलिक स्थिति व मानव तस्करी के प्रारूपों के आधार पर सेवाओं तक अलग–अलग पहुंच– सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे शहरों के बजाय शहरों या शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होती हैं, जिससे पीड़ितों के लिए पहुंच मुश्किल हो जाती है, सेवाएं सिर्फ महिला पीड़ितों तक केन्द्रित हैं जबकि पुरुष पीड़ितों व अन्य लिंगों के लोगों को ये सेवाएं नहीं मिलती हैं (श्रीलंका को छोड़कर जहां एक आश्रय युवा पुरुषों के लिए एक अलग इकाई संचालित करता है)।

    किन कारणों से पीड़ितों की सेवाओं तक पहुंच नहीं होती है– कुछ पीड़ितों द्वारा सेवाओं की तलाश के प्रति अनिच्छुक होने के प्रमुख कारणों में– उपलब्ध सेवाओं के बारे में ज्ञान की कमी होना, कलंक या शर्म का डर महसूस करना, अपने अधिकारों के संबंध में ज्ञान की कमी, अलगाव की भावना व सामाजिक समर्थन की कमी तथा परिवार/समुदाय में पुनर्मिलन का डर होना शामिल हैं।

    कानून प्रवर्तन अधिकारियों से अपर्याप्त प्रतिक्रियाएं–केआईआई ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच लिंग पूर्वाग्रह से प्रेरित असमान प्रतिक्रियाओं का सुझाव दिया है जो पीड़ितों की पहचान को प्रभावित करता है, और उन्हें सेवाओं तक पहुंच से वंचित करता है।

    कोविड–19 महामारी के दौरान सेवाओं की पहुंच – राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान, लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों को तीन देशों में मामलों की रिपोर्ट करने और सेवाओं की मांग करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सीमित गतिशीलता और सामाजिक दूरी की प्रक्रियाओं के कारण शेल्टर होम किसी नए पीड़ित को भर्ती नहीं कर रहे थे। लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करने वाली महिलाओं की कॉलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए कुछ सेवा प्रदाता आपातकालीन हेल्पलाइन सेवाएं चला रहे थे। मानव तस्करी पीड़ितों के मामलों में, साक्षात्कारकर्ता सेवाओं तक प्रतिबंधित पहुंच के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं कर सके (शायद लॉकडाउन अवधि के दौरान पीड़ितों को बचाने और आश्रय गृहों में नहीं लाए जाने के कारण)।

21. सेवा प्रदायगी में सामान्य चुनौतियाँ –हालांकि प्रत्येक देश की सेवा प्रदायगी में अपनी–अपनी चुनौतियाँ हैं, मगर वित्तीय व मानव संसाधनों की कमी प्रमुख कारणों के रूप में उभरी है, विशेष रूप से पीड़ितों के आर्थिक पुनर्वास को प्रभावित करने के मामले में।

फंड की कमी– सरकारी फंड से संचालित होने वाले आश्रय अक्सर फंड की कमी या अनियमित वितरण की स्थिति का सामना करते हैं, और जो अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा फंडिंग पर निर्भर होते हैं, उन्हें इसके जारी रहने के बारे में अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, जो सेवा वितरण को प्रभावित करता है।

आश्रयों की सीमित संख्या– आश्रय गृह ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जिससे सेवा प्रदाताओं के लिए सेवाएं प्रदान करना मुश्किल हो जाता है, या पीड़ितों के लिए सेवाएं जारी रखना मुश्किल हो जाता है जो छोटे शहरों या ग्रामीण क्षेत्रों में अपने परिवारों में लौट आए हैं। पुरुषों व अन्य लिंगों के लिए कोई आश्रय नहीं है जो मानव तस्करी/लिंग आधारित हिंसा के शिकार हैं।

समग्र पुनर्वास तंत्र का अभाव–मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों के लिए पुनर्वास सेवाएं बहुत सीमित हैं और पीड़ितों की सेवाओं को बहुत संकीर्ण ढंग से समझा जाता है और उन्हें बस उनके परिवारों के पास वापस भेज दिया जाता है। फिर वे अपने आर्थिक व अन्य पुनर्वास के लिए सेवा प्रदाताओं तक पहुंच खो देते हैं।

3.2 सेवाओं का एकीकरण या पृथक्करण

22. भारत में बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं का मानना है कि लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी पीड़ितों के लिए सेवाओं को एकीकृत नहीं किया जाना चाहिए, जबकि इनमें से आधे लोग सेवाओं तक आसानी से पहुंच हेतु उन्हें एक ही स्थान पर रखने की वकालत करते हैं। जिन सेवाओं को एकीकृत किया जा सकता था, उन्हें चिकित्सा व कानूनी सहायता के रूप में पहचाना गया।

23. नेपाल में साक्षात्कार में शामिल रहे अधिकांश लोग सेवाओं के एकीकरण की वकालत करते हैं। गैर सरकारी संगठन क्षेत्र व कानून प्रवर्तन एजेंसियां सेवा प्रदाताओं को सेवा वितरण के एकीकरण और पृथक्करण को लेकर समान रूप से विभाजित है। सेवा प्रदाता समूह के एक भाग के रूप में साक्षात्कार किए गए सभी सरकारी अधिकारी, सेवाओं को अलग करने में विश्वास करते हैं। जिन सेवाओं को एकीकृत किया जा सकता था, उन्हें चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के रूप में पहचाना गया।

24. श्रीलंका में अधिकांश सेवा प्रदाता आदर्श स्थिति के रूप में मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा के लिए अलग–अलग सेवाओं का समर्थन करते हैं। कानून प्रवर्तन अधिकारियों का मानना है कि एक अलग आश्रय बनाए रखने के लिए एक सुरक्षित आश्रय तक पहुंच सर्वोपरि है। अलग–अलग या सामान्य आश्रयों पर अलग–अलग राय के बावजूद, लगभग सभी हितधारकों का मानना है कि सेवाओं को जहां भी संभव हो, एकीकृत किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।

25. तीन देशों में, सेवाओं के एकीकरण या पृथक्करण के दृष्टिकोण मुख्य रूप से मौजूदा सेवा वितरण ढांचे 'सिद्धांत रूप में' के साथ–साथ उनके कार्यान्वयन 'वास्तविकता में' (गैर) वित्तीय व मानव संसाधनों की उपलब्धता, और पीड़ितों तथा सेवा प्रदाताओं के जीवंत अनुभव पर आधारित हैं।

3.3 भारत, नेपाल और श्रीलंका के लिए सिफारिशें

26. भारत के लिए प्रमुख सिफारिशें

सरकार के स्तर पर मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिक सुसंगत प्रतिक्रियाओं के लिए समन्वय को मजबूत किया जाएगा।

अनेक हितधारकों के बीच समन्वय:सरकार और गैर सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई हितधारकों के बीच और सेवा प्रदाताओं व कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा मामलों पर समग्र प्रतिक्रिया हेतु समन्वय, विशेष रूप से वन स्टॉप क्राइसिस केंद्रों के भीतर।

छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार व गैर सरकारी संगठनों द्वारा सेवाओं की पहुंच और पहुंच सुनिश्चित करना,विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में सीमावर्ती क्षेत्रों में मानव तस्करी मामलों के लिए।

समस्या के पैमाने के आधार पर समान भौगोलिक वितरण सुनिश्चित करने हेतु सरकार व गैर सरकारी संगठनों द्वारा वहां आश्रय गृहों की स्थापना करना जहां वर्तमान में वे उपलब्ध नहीं है।

व्यक्तिगत देखभाल व निकास योजनाजो पीड़ितों को पुनर्वास (विशेष रूप से आर्थिक) और समुदाय के भीतर पुनर्मिलन के लिए आश्रय गृह सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाएं, वो भी या तो उनके परिवारों के साथ या उनके बिना, प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के आधार पर।

लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी पीड़ितों के लिए अलग आश्रय गृह, विशेष रूप से व्यावसायिक यौन शोषण से छुड़ाए गए, लेकिन एक ही छत के नीचे वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर मॉडल के समान एक सामान्य स्थान पर सेवाओं को एकीकृत करें।

आश्रय गृहों को सरकार द्वारा समय पर धन का वितरण, और विभिन्न योजनाओं की आवधिक निगरानी और मूल्यांकन।

लिंग आधारित हिंसा और मानवतस्करी पीड़ितों के लिए चिकित्सा व कानूनी सहायता सेवाओं हेतु संभावित सेवाओं का एकीकरण किया जा सकता है।

27. नेपाल के लिए प्रमुख सिफारिशें

सरकार न केवल कानून बल्कि सरकार द्वारा जारी या अपनाए गए विभिन्न दिशानिर्देशों के पालन के संदर्भ में लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी पीड़ितों का समर्थन करने के लिए अनिवार्य विभिन्न सरकारी और

गैर–सरकारी संस्थानों के कामकाज की निगरानी करेगी।

लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी के क्षेत्र में प्रभावी सेवा प्रावधान के अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए संघीय, प्रांतीय व स्थानीय सरकारों के कार्यों, भूमिकाओं और कर्तव्यों को निर्दिष्ट करने के लिए सरकार हो।

सरकारी और गैर–सरकारी सेवा प्रदाता ऐसे प्रभावी रेफरल तंत्र विकसित करने के लिए हों जो पीड़ितों को निकटतम स्थान पर सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है।

सरकार और गैर सरकारी संगठन सेवा प्रदाता मानव तस्करी के पीड़ितों को सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे नेपाल व सीमावर्ती क्षेत्रों में आश्रयों की संख्या में वृद्धि करेंगे। आश्रयों को पुरुषों के साथ–साथ लिंग व यौन अल्पसंख्यकों की जरूरतों को भी पूरा करना चाहिए।

सभी 77 जिलों में सामुदायिक स्तर पर दीर्घकालीन आश्रय गृहों की स्थापना करें। अधिक पीड़ितों को सेवाएं प्रदान करने के लिए मंगला सहाना दीर्घकालिक आश्रय गृह की पहुंच का विस्तार करें। अंतरिम तौर पर, स्थानीय सरकारें अपने स्वयं के धन का उपयोग, लिंग–आधारित हिंसा निवारण कोष के तहत आश्रय गृहों की स्थापना के लिए कर सकती हैं।

लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी पीड़ितों को सेवाएं प्रदान करने वाले आश्रय गृहों और सेवा प्रदाताओं का समर्थन करने के लिए सरकार को एक वार्षिक बजट आवंटित करना चाहिए, साथ ही मानकों और सेवाओं की गुणवत्ता की उचित निगरानी और मूल्यांकन करना चाहिए।

सेवाओं के एकीकरण या पृथक्करण पर सरकार एकीकृत सेवाओं पर विचार कर सकती है क्योंकि इसके लिए कम वित्तीय एवंमानव संसाधनों की आवश्यकता होगी, जो दोनों समूहों के पीड़ितों को एक दूसरे का समर्थन करने और प्रेरित करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा, और मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करेगा, जो नेपाल में महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकता है, वो भी पीड़ितों के दोनों समूहों को उनसे संबंधित जरूरतों के अनुसार विशेष सेवाओं के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए।

28. श्रीलंका के लिए प्रमुख सिफारिशें

एनएएचटीटीएफ की सक्रिय भूमिका रेफरल बनाने में मदद करने के साथ–साथ अनुमानित मानव तस्करी पीड़ितों को सेवा ढांचे के भीतर रखने में मदद करती है। पीड़ितों की जिम्मेदारी किसी बाहरी संस्था को सौंपने के लिए कुछ कानून प्रवर्तन अधिकारियों की ओर से दिखाई जाती अनिच्छा पर विचार किया जाना चाहिए कि कौन सी संस्था या कार्यालय पीड़ितों के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है।

सरकार और गैर सरकारी संगठनों को मानव तस्करी पीड़ितों हेतु सेवाओं के लिए रेफरल बनाने के लिए एक अधिक समेकित साधन तैयार करना चाहिए। जैसा कि एसओपी में विस्तृत वर्णन है, पहचान की गई संस्थाओं को इस ढांचे के भीतर शामिल किया जाना चाहिए और आवश्यक कर्मियों को कानूनी, चिकित्सा, प्रलेखन व परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। तथ्य यह है कि इन सेवाओं में से अनेक सेवाएं अंततः सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी हुई हैं, मददगार है क्योंकि इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक प्रणाली पहले से ही चल रही है। बदले में, यह लंबे समय में लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी पीड़ितों के लिए

सेवाओं के एकीकरण के लिए एक आसान संक्रमण का कारण बन सकता है।

सेवाओं के इस तरह के समामेलन से लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों की सहायताहेतु गैर सरकारी संगठनों के पास संसाधनों में कमी नहीं होनी चाहिए।

व्यापक आवश्यकता मूल्यांकन– इस प्रश्न पर किया जाना चाहिए कि क्या एक अलग आश्रय/सेवाओं की आवश्यकता है। कोविड–19 महामारी और अब तक सीखे गए सबक केवल समाधान खोजने की तात्कालिकता को बढ़ा सकते हैं जो पीड़ितों के साथ–साथ कानून प्रवर्तन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि पीड़ितों को पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त करते हुए कानूनी निवारण प्राप्त हो। यह मूल्यांकन इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सकता है कि आश्रय सेवाओं को किस रूप में लेना चाहिए, जिसमें कि शामिल हो कि गैर–संस्थागत सेटिंग के भीतर सुरक्षा प्रदान की जा सकती है या नहीं,आश्रय की भौगोलिक स्थिति आवश्यकता के आधार पर हो, इस अलग प्रणाली को स्थापित करने की लागत और किसके अधिकार के तहत होगी। यह सिफारिश एक अलग आश्रय सुविधा को बनाए रखने के महत्व के संदर्भ में आम सहमति की कमी के प्रतिउत्तर में की गई है।

4. कानूनी ढांचे और इसके प्रवर्तन पर प्रमुख निष्कर्ष

29. तीनों देशों में मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा दोनों के साथ व्यापक रूप से निपटने वाले कानूनों की एक विस्तृत श्रृंखला है, और कानूनी ढांचा लगातार विकसित हुआ है। मानव तस्करी पर नेपाल में एक अलग से कानून है जबकि तस्करी के विभिन्न रूपों को भारत और श्रीलंका में दंड संहिता तथा कई कानूनों के तहत निपटाया जाता है।

30. नेपाल और श्रीलंका में राष्ट्रीय योजनाएं और नीतियां मौजूद हैं, लेकिन भारत में इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि क्या मानव तस्करी पर कार्रवाई की योजना को अपनाया गया था और इसे लागू किया गया था।

31. हालांकि मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसापर एसओपी और प्रोटोकॉल उपलब्ध हैं, मगर केआईआई बताते हैं कि हितधारकों को उनके अस्तित्व के बारे में जानकारी नहीं है या उनका सार्वभौमिक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है, और कई को संशोधित और अद्यतन करने की आवश्यकता है। तीनों देशों में एसओपी व प्रोटोकॉल की निगरानी, मूल्यांकन तथा प्रभाव मूल्यांकन हेतु कोई ढांचा और तंत्र भी नहीं है।

32. <u>कानूनों और कानूनी प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन में कमियां और चुनौतियां –</u>

    भले ही तीनों देशों में मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा कानूनों में सुधार की गुंजाइश है, मगर मौजूदा कानूनी ढांचा काफी प्रभावी है, लेकिन यह इसके कमजोर और असमान कार्यान्वयन से प्रभावित है।

    भारत, नेपाल और श्रीलंका में मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा कानून अधिक महिला केंद्रित हैं तथा पुरुषों व अन्य लिंगों को इसके दायरे से बाहर करते हैं, केवल भारत में 2019 में ट्रांसजेंडरों के लिए–ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम – नामक एक कानून मौजूद है।

कानूनी उत्तरदाताओं द्वारा कानूनी प्रावधानों की व्याख्या, विशेष रूप से मानव तस्करी की परिभाषा, और 'सहमति' की व्याख्या तीनों देशों में समस्याजनक हैं, जो पीड़ितों की पहचान, मामलों की जांच, और पीड़ितों को न्याय प्रदान करने को प्रभावित करते हैं।

तीनों देशों में शिकायतों, जांच तथा मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा मामलों की सुनवाई में लंबित कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी मिली है – मुख्य रूप से व्यापक न्याय वितरण प्रणाली से जुड़ी अंतर्निहित प्रणालीगत चुनौतियों एवं कानूनी उत्तरदाताओं की क्षमताओं में कमियों के कारण, जिसकी शुरुआत पुलिस से होती है और अदालतों के साथ समापन।

भारत, नेपाल और श्रीलंका में पीड़ित/गवाह के सहयोग की कमी सामान्य रूप से जिम्मेदार निम्न कारणों से पाई जाती है – मुख्य रूप से सामाजिक और पारिवारिक दबाव, अपराधियों द्वारा धमकी के कारण स्वयं और परिवार के लिए भय, आपराधिक न्याय प्रणाली को नेविगेट करने में असमर्थता, लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रियाएं – ये सभी कारक सीधे उनके मामलों की जांच और अभियोजन को प्रभावित करती हैं। आपराधिक न्याय वितरण पीड़ित–गवाह की गवाही पर बहुत अधिक निर्भर है, और उनके असहयोगी या शत्रुतापूर्ण होने की स्थिति में, उनके मामले का समूचा आधार ध्वस्त हो जाता है।

33. मानव तस्करीवलिंग आधारित हिंसा पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों द्वारा भारत, नेपाल और श्रीलंका में एक मजबूत न्यायिक हस्तक्षेप है। इन दो अपराधों के बेहद विविध पहलुओं को संबोधित करने वाले फैसलों की बहुतायत है।

4.1 भारत, नेपाल और श्रीलंका के लिए सिफारिशें

34. भारत के लिए प्रमुख सिफारिशें

मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पर व्यापक कानून, जो मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा दोनों पर समग्र एवं विशेश कानून हैं, को मानव तस्करी और/या लिंग आधारित हिंसा के मामलों की जांच के लिए विभिन्न कानूनों को लागू करने की आवश्यकता को रोकने के लिए अपनाया जाना चाहिए।

मानव तस्करी की व्यापक परिभाषा को शामिल करते हुए आईटीपीए, 1956 में संशोधन और वेश्यावृत्ति में शामिल पीड़ितों के अपराधीकरण की धारा को हटाना।

लिंग आधारित हिंसा मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें हों और त्वरित सुनवाई के लिए आईटीपीए,1956 के तहत विशेष अदालतों की स्थापना की जानी चाहिए।

मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पर सभी कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, ताकि सफल दोशसिद्धियां अपराधियों के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में कार्य कर सकें। मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना सभी जिलों में की जानी चाहिए और इन्हें कार्यात्मक व

प्रभावशाली बनाने के लिए पर्याप्त मानव और वित्तीय संसाधनों के साथ मजबूत किया जाना चाहिए।

सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा पुलिस, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों के लिए कानूनी ढांचे पर प्रशिक्षण,ताकि मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पर कानूनों के मूल व प्रक्रियात्मक पहलुओं तथा उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग पर पूरी तरह से समझबनाई जा सके।

35. नेपाल से प्रमुख सिफारिशें

सरकार को मानवतस्करी यालिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए मौजूदा कानूनों को लागू करना चाहिए, जिसमें मामला जारी रहने के दौरान पीड़ितों की सुरक्षा के लिए प्रावधान करना शामिल हो, लेकिन शक्तिशाली अपराधियों के खिलाफ न्याय पाने में कमजोर पीड़ितों का समर्थन करना भी शामिल हो।

सरकार को संबंधित क्षेत्रों में नए विकास पर चिंतन करने के साथ–साथ नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु मौजूदा कानूनों में तदनुसार संशोधन करना चाहिए।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मुकदमे के पहले व बाद के सभी चरणों के दौरान पीड़ितों की गवाह सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

अपराधों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए पीड़ित–केंद्रित जांच प्रक्रियाओंव पीड़ित सहभागी आपराधिक न्याय प्रक्रियाओं का अभ्यास करें।

36. श्रीलंका के लिए प्रमुख सिफारिशें

सरकार मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा के पीड़ितों के लिए सेवाओं तक पहुंचहेतु एक समेकित ढांचा तैयार करेगी।